दिनाँक 8 सितम्बर, 2015 को सभा कक्ष, शक्ति भवन, लखनऊ में आयोजित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 118वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

1.	श्री संजय अग्रवाल	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	श्री विशाल चौहान	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन का0 लि0	निदेशक
3.	श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	प्रबन्ध निदेशक
4.	श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	निदेशक
5.	श्री एस0के0 अग्रवाल	निदेशक(वित्त) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
6.	श्री राधे मोहन	निदेशक(का0प्र0 एवं प्र0) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
7.	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक(वाणिज्य) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
8.	श्री कृष्ण मुरारी मित्तल	निदेशक(वितरण) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
9.	श्री रामानन्द यादव	निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
10.	श्री एच0के0 अग्रवाल	कार्यकारी कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	संयोजक

कम्पनी सचिव ने बैठक में अवगत कराया कि श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव(वित्त), उ0प्र0 शासन अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये हैं। निदेशक मण्डल ने इसे संज्ञान में लेते हुए श्री नील रतन कुमार को 'लीव ऑफ एबसेन्स' स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(01) श्रीमती नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का महिला निदेशक के रूप में निदेशक मण्डल में स्वागत करने के सम्बन्ध में।	**118(01)** निदेशक मण्डल ने श्रीमती नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में महिला निदेशक के रूप में नियुक्त करने के सम्बन्ध में निर्गत उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 2047/24–पी–2–15–सा0(110)/15 दिनांक 17 अगस्त, 2015 को संज्ञान में लेते हुए श्रीमती नीरजा कृष्णा का निदेशक मण्डल में स्वागत किया।
118(02) दिनाँक 26 जून, 2015 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 117वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	**118(02)** निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
118(03) दिनाँक 26 जून, 2015 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 117वीं बैठक में पारित निर्णयों पर अनुपालन आख्या।	**118(03)** निर्देशित किया गया कि लम्बित प्रकरणों पर अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाय।
118(04) आर0ई0सी0 से रू0 500 करोड़ का ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28 मई, 2015 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	**118(04)** निदेशक मण्डल ने प्रश्नगत पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लिया:– 1. संकल्पित किया गया कि आर0ई0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले रू0 500.00 करोड़ (रूपये पाँच सौ करोड़) का

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	ऋण उनकी स्वीकृति की शर्तो पर आहरित कर लिया जाए। 2. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण की स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप ऋण आहरण हेतु समस्त अनुबन्धों, विलेखों एवं प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने आवश्यकतानुरूप एस्को खातों में वृद्धि हेतु महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा उप मुख्यलेखाधिकारी (वित्त) अथवा लेखाधिकारी निधि–प्रथम को अधिकृत किया जाता है। 3. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण आहरण हेतु शासन द्वारा जारी की जाने वाली शासकीय प्रत्याभूति जारी करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाए एवं शासकीय प्रत्याभूति पर निर्धारित विधीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाय। निगम की ओर से शासन को प्रति प्रत्याभूति देने हेतु निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अधिकृत किया जाता है। 4. पुनः संकल्पित किया गया कि निस्पादित अनुबन्ध/विलेखों आदि पर नियमानुसार निगम की कामन सील लगायी जाय।
118(05) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14 जुलाई, 2015 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	118(05) निदेशक मण्डल ने प्रश्नगत पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लियाः– 1. संकल्पित किया गया है कि पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये रु0 112.73 करोड़ का ऋण उनकी स्वीकृति की शर्तों पर आहरित कर लिया जाए । 2. पुनः संकल्पित किया गया है कि ऋण की स्वीकृति की शर्तो के अनुरुप ऋण आहरण हेतु समस्त अनुबन्धों, विलेखों एवं प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु आवश्यकतानुरूप एस्को खातों में वृद्धि हेतु महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा उप मुख्यलेखाधिकारी (वित्त) अथवा लेखाधिकारी निधि–प्रथम को अधिकृत किया जाता है। 3. पुनः संकल्पित किया गया है कि ऋण आहरण हेतु शासन द्वारा जारी की जाने वाली शासकीय प्रत्याभूति जारी करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाए एवं शासकीय प्रत्याभूति पर निर्धारित विधीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाय । कारपोरेशन की ओर से शासन को प्रति प्रत्याभूति देने हेतु निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अधिकृत किया जाता है। 4. पुनः संकल्पित किया गया है कि उक्त अनुबन्ध के सम्बन्ध में भविष्य में निष्पादित किये जाने वाले संयुक्त कनर्सोटियम अनुबन्ध में सम्मिलित कर लिया जाय एवं तद्नुसार कनर्सोटियम अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा उप मुख्यलेखाधिकारी (वित्त) अथवा लेखाधिकारी निधि–प्रथम को अधिकृत किया जाता है। 5. पुनः संकल्पित किया गया है कि निष्पादित अनुबन्ध/विलेखों आदि पर नियमानुसार निगम की कामन सील लगायी जाय।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(06) -आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए योजना के अन्तर्गत 167 नगरों की एण्ड–लोकेशन पर स्थापित आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुरक्षण हेतु एच.सी.एल टैकनोलोजी की वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध सेवाओं के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 16 जुलाई, 2015 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	118(06) निदेशक मण्डल ने प्रश्नगत पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लियाः– "निदेशक मण्डल ने आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए योजना के अन्तर्गत चारों निगमों के 167 नगरों की एण्ड लोकेशन (End Location) की वार्षिक अनुरक्षण सेवाओं को 31 जनवरी 2016 से अग्रेतर 01 वर्ष हेतु कुल रू0 37,07,03,256 मात्र (कर अतिरिक्त) में एच0सी0एल0 टैक को प्रदान करने हेतु निम्न अनुमोदन प्रदान कियेः– 1. आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए योजना के अन्तर्गत 167 नगरों की एण्ड–लोकेशन पर स्थापित आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुरक्षण हेतु एच.सी.एल टैकनोलोजी की वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध सेवाओं को अग्रेतर 01 वर्ष हेतु 31 जनवरी 2016 से 30 जनवरी 2017 तक कुल धनराशि रू 37,07,03,256/–(कर अतिरिक्त) में एच0सी0एल0 टेकनोलोजी को प्रदान किये जाने अनुमोदन प्रदान किया। 2. एच0सी0एल0 टेकनोलोजी से उपरोक्त अनुरक्षण सेवाओं हेतु अनुबंध अधीक्षण अभियन्ता आरएपीडीआरपी(पार्ट–ए) उ.प्र. पाकालि0 द्वारा किये जाने तथा सम्बन्धित कार्यों का अग्रिम भुगतान अनुरक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एच0सी0एल0 टैकनोलाजी द्वारा ओ0ई0एम0 से Back to Back tieup पूर्ण कर लेने के उपरान्त निदेशक(वाणिज्य) उ.प्र.पाकालि0 द्वारा अधिकृत कार्यालय द्वारा किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
118(07) पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या 2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन के संबंध में उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी आदेश सं0 8/4/1/2002टी0सी0– 1का–2/2015 दिनांक 21.08.2015 के अंगीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	118(07) निदेशक मण्डल ने प्रश्नगत पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लियाः– "निदेशक मण्डल ने पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या 2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन के संबंध में उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी आदेश सं0 8/4/1/ 2002टी0सी0 –1का –2/2015 दिनांक 21.08.2015 को उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 में अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।"
118(08) आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 की योजना के अन्तर्गत पी0एफ0सी0 से प्राप्त ऋणों एवं प्राप्त होने वाले ऋणों हेतु बहुपक्षीय एस्क्रो अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2015 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	118(08) निदेशक मण्डल ने प्रश्नगत पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लियाः– "संकल्पित किया गया कि पी0एफ0सी0 से उनके नियम एवं शर्तो पर आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत डिस्काम्स द्वारा लिए गये ऋणों एवं लिये जाने वाले ऋणों हेतु Multipartite Escrow Agreement/Revised Multipartite Escrow Agreement पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की ओर से हस्ताक्षर किये जाने हेतु महाप्रबन्धक (वित्त)/उपमुख्य लेखाधिकारी (वित्त)/लेखाधिकारी (निधि–प्रथम) को अधिकृत किया जाता है।"

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(09) मुख्य–मुख्य समीष्टों के निष्पादन की माह मई, 2015 की स्थिति।	**118(09)** निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत स्थिति संज्ञान में ली।
118(10) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंशधारकों की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने हेतु निर्गत नोटिस संख्या 690 दिनाँक 25 अगस्त, 2015 एवं नोटिस संख्या 701 दिनाँक 27 अगस्त, 2015 का कार्योत्तर अनुमोदन।	**118(10)** निदेशक मण्डहल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंशधारकों की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने हेतु निर्गत नोटिस संख्या 690 दिनाँक 25 अगस्त, 2015 एवं नोटिस संख्या 701 दिनाँक 27 अगस्त, 2015 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
118(11) पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्तों की दरों का पुनरीक्षण।	**118(11)** निदेशक मण्डल ने पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों को देय चिकित्सा भत्ता की दरों में पुनरीक्षण किये जाने के संदर्भ में निम्न निर्णय लियाः– "निदेशक मण्डल ने सेवारत कार्मिकों को अनुमन्य कराये गये पुनरीक्षित दर पर चिकित्सा भत्ता की अनुरूपता में पेंशनर्स को भी रू0 200/– प्रति माह की समान दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया।"
118(12) उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 121/24–पी–3–2014 दिनांक 06–03–2014 में निहित निर्देशानुसार "दि कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0" (सेस) के कार्मिकों के संविलीनीकरण, जी0पी0एफ0 सुविधा बहाल करने एवं पेंशन की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रकरण में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 2065–अरा0–09(ब)/पाकालि/14–3(7)–अरा0(09ब)/04 दिनांक 21–08–2014 द्वारा गठित समिति की आख्या तथा संस्तुतियों पर विचार एवं निर्णय लिया जाना।	**118(12)** निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 121/24–पी–3–2014 दिनांक 06–03–2014 में निहित निर्देशानुसार "दि कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0" (सेस) के कार्मिकों के संविलीनीकरण, जी0पी0एफ0 सुविधा बहाल करने एवं पेंशन की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रकरण में विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लियाः– निदेशक मण्डल ने पूर्ण प्रकरण में समय–समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेशों का गहन अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन कियाः– 1. प्रबन्ध निदेशक 2. निदेशक(वित्त) 3. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) 4. निदेशक(वाणिज्य) 5. श्रीमती नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो 6. विधि अधिकारी

CHAIRMAN'S INITIAL

५

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(13) श्री अर्जुन लाल श्रीवास्तव (78092), अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त) की आश्रित पत्नी श्रीमती सरोज श्रीवास्तव की चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	**118(13)** निदेशक मण्डल ने श्री अर्जुन लाल श्रीवास्तव (78092), अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त) की आश्रित पत्नी श्रीमती सरोज श्रीवास्तव की चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया:– "निदेशक मण्डल ने पूर्ववर्ती परिषदादेश सं0 5830–औस/2008–11(28)एएस/04 दिनांक 31–12–2008 में निहित प्राविधानों को शिथिल करते हुए श्री अर्जुन लाल श्रीवास्तव की पत्नी के कैंसर जैसे असाध्य रोग की चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषम परिस्थिति के दृष्टिगत मानवीय आधार पर एजेण्डे में दिये गये प्रस्ताव अनुसार रू0 85,180.00 (रू0 पच्चासी हजार एक सौ अस्सी) मात्र का अनुमोदन इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान किया कि यह अन्य प्रकरणों हेतु दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।"
118(14) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय में तैनात कम्प्यूटर सहायकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मोबाइल सिमकार्ड की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	**118(14)** निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय में तैनात कम्प्यूटर सहायकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मोबाइल सिमकार्ड की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था लागू करने का औचित्य नहीं पाया गया।
118(15) शक्ति भवन(मुख्यालय)/विद्युत अनुरक्षण इकाई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों तथा विद्युत एवं यांत्रिक इकाई के अधीन कार्यरत् अग्निशमन रक्षकों को पौष्टिक आहार भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	**118(15)** निदेशक मण्डल द्वारा शक्ति भवन(मुख्यालय)/विद्युत अनुरक्षण इकाई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों तथा विद्युत एवं यांत्रिक इकाई के अधीन कार्यरत् अग्निशमन रक्षकों को पौष्टिक आहार भत्ता अनुमन्य कराये जाने के प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था लागू करने का औचित्य नहीं पाया गया।
118(16) सहायक अभियन्ता (राजस्व) के पद को सहायक अभियन्ता (सूचना प्रोद्योगिकी एवं राजस्व) के रूप में नामान्तरित करने तथा सहायक अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजस्व) के पद पर आई0टी0/सी0एस0 विधा के सहायक अभियन्ताओं की तैनाती/भर्ती के सम्बन्ध में।	**118(16)** निदेशक मण्डल ने सहायक अभियन्ता (राजस्व) के पद को सहायक अभियन्ता (सूचना प्रोद्योगिकी एवं राजस्व) के रूप में नामान्तरित करने तथा सहायक अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजस्व) के पद पर आई0टी0/सी0एस0 विधा के सहायक अभियन्ताओं की तैनाती/भर्ती के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया:– 1. प्रत्येक डिस्कॉम में विद्युत वितरण खण्डों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(राजस्व) के पद को सहायक अभियन्ता (सूचना प्रोद्योगिकी एवं राजस्व) के रूप में नामान्तरित करने का अनुमोदन प्रदान किया। 2. सहायक अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजस्व) के पद पर कम्प्यूटर संवर्ग के C.S./I.T./A mixed discipline (युग्म) degree combined with either CS or IT डिग्री प्राप्त इन्जीनियरिंग स्नातकों को तैनात करने का अनुमोदन प्रदान किया। यह भी निर्देशित किया कि निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) उपरोक्त प्रस्ताव का संबंधित डिस्कॉम के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(17) श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता को कारपोरेशन के आदेश संख्या 1897–शि0जां0–05द / पाकालि / 13 दिनांक 26.07.2013 द्वारा प्रदत्त पेंशन से 03 प्रतिशत कटौती के दण्ड के सम्बन्ध में संज्ञानार्थ प्रस्तुत।	**118(17)** निदेशक मण्डल ने श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता को कारपोरेशन के आदेश संख्या 1897–शि0जां0–05द / पाकालि / 13 दिनांक 26.07.2013 द्वारा पेंशन से 03 प्रतिशत कटौती के प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लिया।
118(18) श्री राधेश्याम, से0नि0 सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन के आदेश सं0–2005–शि0जां0–05द / पाकालि / 13 दिनांक 26.07.2013 द्वारा प्रदत्त पेंशन से 04 (चार) प्रतिशत कटौती के दण्ड के सम्बन्ध में संज्ञानार्थ प्रस्तुत।	**118(18)** निदेशक मण्डल ने श्री राधेश्याम, से0नि0 सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन के आदेश सं0–2005–शि0जां0–05द / पाकालि / 13 दिनांक 26.07.2013 द्वारा पेंशन से 04 (चार) प्रतिशत कटौती के प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लिया।
118(19) श्री राजेन्द्र सिंह यादव (85026) तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी पेंशन से 1.5 प्रतिशत (डेढ़ प्रतिशत) की कटौती किये जाने के दण्ड को निदेशक मण्डल के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु।	**118(19)** निदेशक मण्डल ने कारपोरेशन आदेश संख्या 729–शिजां–05(ई) / पाकालि–15–7(186)–05ई / 09 दिनांक 16–06–2015 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह यादव (85026) तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी पेंशन से 1.5 प्रतिशत (डेढ़ प्रतिशत) की कटौती किये जाने के प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लिया।
118(20) श्री टी0सी0 शर्मा (77145) तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी पेंशन से 01 प्रतिशत की कटौती के दण्ड को संज्ञान में लेने के सम्बन्ध में।	**118(20)** निदेशक मण्डल ने कारपोरेशन आदेश संख्या 728–शिजां–05(ई) / पाकालि–15–7(186)–05ई / 09 दिनांक 16–06–2015 द्वारा श्री टी0सी0 शर्मा (77145) तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी पेंशन से 01 प्रतिशत की कटौती के प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लिया।
118(21) विद्युत वितरण खण्ड, सलेमपुर, देवरिया के माह 04 / 2004 से 03 / 2006 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में।	**118(21)** निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड, सलेमपुर, देवरिया के माह 04 / 2004 से 03 / 2006 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा किये गये गबन के प्रकरण में निम्न अधिकारियों को प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लिया:– 1. आदेश संख्या 1304 दिनांक 16–08–2013 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह (76170), अधिशासी अभियन्ता को उनकी देय पेंशन से 03 प्रतिशत की कटौती का दण्ड। 2. आदेश संख्या 124 दिनांक 21–01–2015 द्वारा श्री सी0डी0 गोस्वामी (79020), अधिशासी अभियन्ता को उनकी देय पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती का दण्ड।
118(22) विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया के माह 04 / 2002 से 10 / 2006 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में।	**118(22)** निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया के माह 04 / 2002 से 10 / 2006 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा किये गये गबन के प्रकरण में आदेश संख्या 503 दिनांक 15–04–2013 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह, तत्काली अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त का उनकी देय पेंशन से 02 प्रतिशत की कटौती 02 वर्ष की अवधि तक किये जाने के प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लिया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(23) विद्युत वितरण खण्ड, कसया, कुशीनगर के माह 01/96 से 12/2001 तक की अवधि के टी0आई0/पी0आई0 से सम्बन्धित अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में।	**118(23)** निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड, कसया, कुशीनगर के माह 01/96 से 12/2001 तक की अवधि के टी0आई0/पी0आई0 से सम्बन्धित अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण में निम्न कार्मिकों को प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लियाः– 1. आदेश सं0 1133 दिनांक 30–06–2012 द्वारा श्री जे0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता को उनकी देय पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती का दण्ड। 2. आदेश सं0 1049 दिनांक 04–07–2013 द्वारा श्री अखिलानन्द शर्मा, अवर अभियन्ता को उनकी देय पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती का दण्ड। 3. आदेश सं0 93 दिनांक 21–01–2015 द्वारा श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अवर अभियन्ता को उनकी देय पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती एवं रू0 1,19,147.04 की प्रत्याप्ति का दण्ड।
118(24) विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर के माह 01/2004 से 12/2004 तक के अभिलेखों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं रोकड़िया (राजस्व) द्वारा किये गये रू0 3.69 लाख के गबन हेतु अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	**118(24)** निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर के माह 01/2004 से 12/2004 तक के अभिलेखों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं रोकड़िया (राजस्व) द्वारा किये गये रू0 3.69 लाख के गबन के प्रकरण में निम्न कार्मिकों को प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लियाः– 1. आदेश संख्या 896 दिनांक 29–05–2012 द्वारा श्री आर0एन0 त्रिपाठी (76347), अधिशासी अभियन्ता को उनकी देय पेंशन से 03 प्रतिशत की कटौती 03 वर्षों की अवधि तक किये जाने का दण्ड। 2. आदेश संख्या 897 दिनांक 29–05–2012 द्वारा श्री लोकनाथ मिश्रा (76517), अधिशासी अभियन्ता को उनकी देय पेंशन से 03 प्रतिशत की कटौती 05 वर्षों की अवधि तक किये जाने का दण्ड।
118(25) श्री एच0सी0 शर्मा (82020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता (राजस्व), सम्प्रति सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा कारपोरेशन आदेश संख्या 3005 दिनांक 29–09–2006 के माध्यम से प्रदत्त दण्ड यथा "निन्दा प्रविष्टि एवं असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ राके जाने" के विरूद्ध की गयी अपील।	**118(25)** निदेशक मण्डल ने श्री एच0सी0 शर्मा (82020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता (राजस्व), सम्प्रति सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा कारपोरेशन आदेश संख्या 3005 दिनांक 29–09–2006 के माध्यम से प्रदत्त दण्ड यथा "निन्दा प्रविष्टि एवं असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ राके जाने" के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 08–08–2013 को इस आधार पर विचार योग्य नहीं पाया कि यह उनके द्वारा प्रस्तुत तृतीय अपील है जबकि उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रस्तर–11 के अन्तर्गत किसी भी कार्मिक को मात्र एक बार ही अपील किये जाने का अधिकार है।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(26) विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, गोरखपुर के माह 04/98 से 07/99 तक की अवधि के अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में।	118(26) निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, गोरखपुर के माह 04/98 से 07/99 तक की अवधि के अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण में निम्नानुसार कार्मिकों को प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लियाः– (1) श्री राम चेत, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 783 दिनांक 23.05.13 के माध्यम से देय पेंशन से 5% कटौती किये जाने का दण्ड। (2) श्री चन्द्र मोहन पाण्डेय, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 784 दिनांक 23.05.13 के माध्यम से देय पेंशन से 2% कटौती किये जाने का दण्ड। (3) श्री आर0के0 चौधरी, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 781 दिनांक 23.05.13 के माध्यम से देय पेंशन से 5% कटौती किये जाने का दण्ड। (4) श्री वी0एन0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 782 दिनांक 23.05.13 के माध्यम से देय पेंशन से 2% कटौती किये जाने का दण्ड। (5) श्री एम0पी0 सिद्दीकी, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 810 दिनांक 07.05.10 के माध्यम से देय पेंशन से 10% कटौती किये जाने का दण्ड। (6) श्री आर0पी0 जायसवाल, तत्कालीन लेखाकार सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 414 दिनांक 24.02.07 के माध्यम से देय पेंशन से 5% कटौती किये जाने का दण्ड। (7) श्री आर0पी0 पाण्डेय, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 3008 दिनांक 12.09.06 के माध्यम से देय पेंशन से 5% कटौती किये जाने का दण्ड। (8) श्री पी0पी0 त्रिपाठी, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 2216 दिनांक 05.12.12 के माध्यम से देय पेंशन से 8% कटौती किये जाने का दण्ड। (9) श्री एस0एन0 चौरसिया, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 1802 दिनांक 19.09.12 के माध्यम से देय पेंशन से 1% कटौती किये जाने का दण्ड। (10) श्री अनिल कुमार वर्नवाल, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 2219 दिनांक 21.12.12 के माध्यम से देय पेंशन से 2% कटौती किये जाने का दण्ड। (11) श्री अब्दुल कदीर, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 2220 दिनांक 21.12.12 के माध्यम से देय पेंशन से 2% कटौती किये जाने का दण्ड।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	(12) श्री राम चन्द्र वर्मा, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 2218 दिनांक 21.12.12 के माध्यम से देय पेंशन से 2% कटौती किये जाने का दण्ड। (13) श्री बी0एन0 पाण्डेय, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 2217 दिनांक 21.12.12 के माध्यम से देय पेंशन से 5% कटौती किये जाने का दण्ड। (14) श्री वी0के0 उपाध्याय, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कारपोरेशन आदेश संख्या 2034 दिनांक 31.10.12 के माध्यम से देय पेंशन से 5% कटौती किये जाने का दण्ड।
118(27) विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से समूह "ग" के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा प्रणाली से "साक्षात्कार" की प्राविधानित व्यवस्था समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	**118(27)** निदेशक मण्डल ने विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से समूह "ग" के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि समूह "ग" के अधोलिखित पदों पर परीक्षा प्रणाली से साक्षात्कार को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायः– 1. कार्यालय सहायक–III — मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय संवर्ग 2. आशुलिपिक (श्रेणी–III) — –तदैव– 3. कार्यालय सहायक–III (लेखा) — लेखा संवर्ग 4. सहायक लेखाकार — –तदैव– 5. मानचित्रक (Draftsman) — कला संवर्ग 6. सहायक स्टोर कीपर — परिचालकीय संवर्ग 7. टी0जी0–II — –तदैव
118(28) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के समूह "ग" के कार्मिकों की सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।	**118(28)** निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के समूह "ग" के कार्मिकों की सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) एवं श्रीमती नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की समिति गठित की।
118(29) प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं पंचायतों में दिनांक 31 मार्च, 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश सं0 44/2015/ वे0आ0–2–795/दस–54(एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 का अंगीकरण।	**118(29)** निदेशक मण्डल ने प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं पंचायतों में दिनांक 31 मार्च, 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश सं0 44/2015/ वे0आ0–2–795/दस–54(एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अंगीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया। यह भी निर्देशित किया कि निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) उपरोक्त प्रस्ताव का संबंधित डिस्कॉम के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(30) दिनांक 19 फरवरी, 2009 एवं उसके उपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वेतन निर्धारण के अवसर पर 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के लाभ सहित वेतन निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में।	118(30) निदेशक मण्डल ने दिनांक 19 फरवरी, 2009 एवं उसके उपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वेतन निर्धारण के अवसर पर 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के लाभ सहित वेतन निर्धारण कराये जाने के प्रकरण में प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों की प्रचलित व्यवस्था का गहन अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति देने हेतु, जिसमें वित्तीय भार का भी उल्लेख हो, निम्न समिति का गठन किया:– 1. प्रबन्ध निदेशक 2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) 3. निदेशक(वित्त)
118(31) दिनांक 19 फरवरी, 2009 एवं उसके उपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियन्ताओं को छठे वेतन आयोग में वेतन निर्धारण के अवसर पर 02 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के लाभ सहित वेतन निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में।	118(31) निदेशक मण्डल ने दिनांक 19 फरवरी, 2009 एवं उसके उपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियन्ताओं को छठे वेतन आयोग में वेतन निर्धारण के अवसर पर 02 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के लाभ सहित वेतन निर्धारण कराये जाने के प्रकरण में प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों की प्रचलित व्यवस्था का गहन अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति देने हेतु, जिसमें वित्तीय भार का भी उल्लेख हो, निम्न समिति का गठन किया:– 1. प्रबन्ध निदेशक 2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) 3. निदेशक(वित्त)
118(32) दिनांक 01 जनवरी, 2006 एवं उसके उपरान्त सीधी भर्ती से टी0जी0–।।(यांत्रिक संवर्ग) पद पर नियुक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक नियुक्ति के अवसर पर वेतन निर्धारण में 01 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ सहित वेतन निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में।	118(32) निदेशक मण्डल ने दिनांक 01 जनवरी, 2006 एवं उसके उपरान्त सीधी भर्ती से टी0जी0–।।(यांत्रिक संवर्ग) पद पर नियुक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक नियुक्ति के अवसर पर वेतन निर्धारण में 01 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ सहित वेतन निर्धारण कराये जाने के प्रकरण में प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों की प्रचलित व्यवस्था का गहन अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति देने हेतु, जिसमें वित्तीय भार का भी उल्लेख हो, निम्न समिति का गठन किया:– 1. प्रबन्ध निदेशक 2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) 3. निदेशक(वित्त)
118(33) मे0 IndusInd Bank के साथ वित्तीय लेन–देन किये जाने के सम्बन्ध में।	118(33) मे0 IndusInd Bank के साथ वित्तीय लेन–देन किये जाने के प्रकरण में बैठक में श्रीमती नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। वर्णित तथ्य को संज्ञान में लेते हुए निदेशक मण्डल ने प्रकरण को वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

10

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(34) लैन्को अनपारा पावर लि0–परियोजना साईट के हस्तान्तरण में विलम्ब व अन्य कारणों के फलस्वरूप सी0ओ0डी0 में विलम्ब के कारण कैपिटल कॉस्ट में वृद्धि का अतिरिक्त लेवेलाइज्ड टैरिफ के सम्बन्ध में।	118(34) निदेशक मण्डल ने लैन्को अनपारा पावर लि0 को परियोजना साइट के हस्तान्तरण में विलम्ब व अन्य कारणों सहित C.O.D. में विलम्ब के कारण कैपिटल कॉस्ट में वृद्धि के कारण अतिरिक्त लेवेलाइज्ड टैरिफ दिये जाने के संदर्भ में एजेण्डे में दिये गये तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया:– "लैन्को द्वारा इस परियोजना का पी0पी0ए0 समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है तथा इस परियोजना की बिजली अन्य समकालीन परियोजनाओं से सस्ती है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना के पी0पी0ए0 को समाप्त करना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के हित में नहीं है। अतः लैन्को अनपारा पावर लिमिटेड परियोजना हेतु साइट के हस्तान्तरण में विलम्ब व अन्य कारणों के फलस्वरूप C.O.D. में विलम्ब के कारण कैपिटल कॉस्ट में वृद्धि होने और परियोजना को चलाये जाने हेतु sustainable tariff प्रदान किये जाने के दृष्टिगत मे0 एल0ए0पी0एल0 को रू 0.071/kwh का अतिरिक्त लेवेलाइज्ड टैरिफ पूर्व में संस्तुत रू0 0.1550/ kwh के साथ, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश की तिथि से दिये जाने हेतु उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को संस्तुति भेजे जाने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि बढ़ा हुआ टैरिफ इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाय कि नियामक आयोग द्वारा रिटेल टैरिफ में इसकी प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जाय।"
118(35) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा (एल0टी0सी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	118(35) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा (एल0टी0सी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विचार–विमर्श उपरान्त निर्देशित किया कि प्रकरण में आने वाले वित्तीय भार के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।
118(36) यात्रा भत्ता अनुमन्यता के प्राविधानों के अन्तर्गत होटल/अन्य संस्थान में ठहरने पर विशेष दैनिक भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	118(36) निदेशक मण्डल ने यात्रा भत्ता अनुमन्यता के प्राविधानों के अन्तर्गत होटल/अन्य संस्थान में ठहरने पर विशेष दैनिक भत्ता के प्रकरण में निर्देशित किया कि प्रदेश के अन्य उपक्रमों में लागू व्यवस्था एवं इस संबंध में शासन द्वारा जारी आदेशों के आलोक में अध्ययन कर प्रस्ताव वित्तीय भार सहित अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
118(37) राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी, दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी, दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	118(37) राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी, दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी, दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल ने शासनादेश संख्या 1/2015/जी–1–01/दस–2015–226/2008 टी.सी.–।। दिनांक 11–02–2015 में दी गई व्यवस्था अनुसार दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया। यह भी निर्देशित किया गया कि यह व्यवस्था उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से लागू मानी जायेगी।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
118(38) कारपोरेशन के आदेश संख्या 2041–शि0जाँ0–05एफ / पाकालि / 2014–7(25)05एफ / 2011 दिनांक 24–07–2014 द्वारा श्री एस0पी0 श्रीवास्तव (68199), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता की पेंशन से 05% की कटौती किये जाने के दण्ड का कार्योत्तर अनुमोदन तथा श्री श्रीवास्तव की अपील दिनांक 17–10–2014 एवं 16–02–2015 के सम्बन्ध में।	**118(38)** श्री एस0पी0 श्रीवास्तव (68199), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त की देय पेन्शन से 05% की कटौती के दण्ड के विरूद्ध, उनसे प्राप्त अपील का संगत अभिलेखों के दृष्टिगत गहन परीक्षण किया और यह पाया कि श्री श्रीवास्तव ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप, यथा– रू0 88.58 लाख के धन विचलन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है, अपितु अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया को ही अनुचित बताया है। इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त श्री एस0पी0 श्रीवास्तव के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कायर्कवाही को नियमानुसार पाया तथा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई भी तथ्य / साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के दृष्टिगत, प्रश्नगत अपील को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।
118(39) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 एवं मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (वै0 एवं यां0) के पदों पर चयन हेतु दिनांक 01–09–2015 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुतियों के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	**118(39)** निदेशक मण्डल ने मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 एवं मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (वै0 एवं यां0) के पदों पर चयन हेतु दिनांक 01–09–2015 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी निम्न संस्तुतियों पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:– 1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)(वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागीय चयन समिति की दिनांक 01–09–2015 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियां। 2. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)(वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागीय चयन समिति की दिनांक 01–09–2015 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियां।
118(40) उ0प्र0 पावर कारपारेशेन लि0 के अन्तर्गत चयन वर्ष 2014–15 में सीधी भर्ती के कार्यालय सहायक–तृतीय एवं आशुलिपिक ग्रेड–3 के पदों के चयन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा गठित उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किये जाने के निमित्त अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	**118(40)** उ0प्र0 पावर कारपारेशेन लि0 के अन्तर्गत चयन वर्ष 2014–15 में सीधी भर्ती के कार्यालय सहायक–तृतीय एवं आशुलिपिक ग्रेड–3 के पदों के चयन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा गठित उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में यह देखते हुए कि वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपारेशेन लि0 के अधीनस्थ गठित विद्युत सेवा आयोग के द्वारा सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, टेक्नीशियन ग्रेड–।। आदि के पदों पर चयन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, के परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिय गया:– "निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत चयन वर्ष 2014–15 में सीधी भर्ती के कार्यालय सहायक–तृतीय एवं आशुलिपिक ग्रेड–3 के पदों के चयन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा गठित उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शासन के ऊर्जा विभाग के माध्यम से अधियाचन प्रेषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। यदि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रश्नगत चयन कराने पर सहमत न हो तो विद्युत सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय। "

CHAIRMAN'S INITIAL

<table>
<tr><th>विषय</th><th>निदेशक मण्डल का निर्णय</th></tr>
<tr><td>118(41)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 के भाग–।।।, भर्ती का स्रोत के विनियम–5(3) (अद्यतन संशोधित) में मेरिट होल्डर्स के लिये सीधी नियुक्ति में प्राविधानित 15 प्रतिशत आरक्षित व्यवस्था को विनियमावली से "विलोपित" किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>118(41)

निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 के भाग–।।।, भर्ती का स्रोत के विनियम–5(3) (अद्यतन संशोधित) में मेरिट होल्डर्स के लिये सीधी नियुक्ति में प्राविधानित 15 प्रतिशत आरक्षित व्यवस्था को विनियमावली से "विलोपित" किये जाने के प्रकरण में पुनर्विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन किया:–
1. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)
2. निदेशक(वितरण)</td></tr>
<tr><td>118(42)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड लेखा संवर्ग (समूह "ग") के कार्मिकों की सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>118(42)

निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लेखा संवर्ग (समूह "ग") के कार्मिकों की प्रस्तुत U.P. Power Corporation Ltd. (Accounts Staff Service) Regulation 2015 में निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 02 दिनांक 12–01–2015 में गठित समिति की संस्तुतियों पर विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इन रेगुलेशन्स पर दी गई विधिक राय एवं इस बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या 27 में लिये गये निर्णय कि समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा प्रणाली से साक्षात्कार की प्राविधानित व्यवस्था समाप्त कर दी जाय, के संशोधनों के साथ प्रस्तुत U.P. Power Corporation Ltd. (Accounts Staff Service)Regulation 2015 का अनुमोदन प्रदान किया।</td></tr>
<tr><td>118(43)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 में श्रेणी–'प–4' के तकनीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में संशोधन एवं तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु वर्तमान प्राविधानों में परिवर्तन के सम्बन्ध में।</td><td>118(43)

निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 में श्रेणी–'प–4' के तकनीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में संशोधन एवं तकनीशियन (ग्रेड–2) के पंद से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु वर्तमान प्राविधानों में परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किये:–
1. उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 में श्रेणी–'प–4' के तकनीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में निम्नवत् संशोधन किया गया:–
<table>
<tr><th>वर्तमान शैक्षिक अर्हता</th><th>प्रस्तावित संशोधित अर्हता</th></tr>
<tr><td>(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र।</td><td>(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक तथा इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण) ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र।</td></tr>
<tr><td>(2) "CCC" प्रमाण–पत्र अथवा समकक्ष कम्प्यूटर अर्हता।</td><td>(2) "DOEACC" (वर्तमान में NIELIT) द्वारा निर्गत "CCC"/"O" लेवेल/ "A" लेवेल/ "B" लेवेल अथवा "C" लेवेल प्रमाण–पत्र।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

13

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
–	

2. इस बैठक के एजेण्डा संख्या 27 पर लिये गये निर्णय के क्रम में तकनीशियन (ग्रेड–2) की परीक्षा से साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
3. विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 में इंगित विभिन्न श्रेणी के पदों में से श्रेणी–''प–5'' के पदों यथा– केबिल ज्वाइंटर (11 के0वी0), परिचालक ग्रेड–1 (मोबाइल क्रेन) एवं परिचालक ग्रेड–1 (पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर) तथा ''प–6'' के पदों यथा– केबिल ज्वाइंटर (33 के0वी0 एवं उच्चतर) की उपयोगिता नगण्य हो जाने के दृष्टिगत इन दोनों श्रेणियों को मृत संवर्ग घोषित करते हुए इन्हें (यदि कोई कार्मिक कार्यरत हो तो) श्रेणी–''प–4'' में मर्षित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। मर्षणोंपरान्त ऐसे कार्मिकों की ज्येष्ठता यथास्थान निर्धारित की जायेगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त तकनीशियन ग्रेड–2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति के सम्बन्ध में यह विचारित किया गया कि चूंकि तकनीशियन ग्रेड–2 के कार्मिक विभिन्न वितरण कम्पनियों में आमेलित हो चुके हैं, अतएव अवर अभियन्ता के कॉमन कैडर के पद पर प्रोन्नति हेतु विभिन्न वितरण कम्पनियों में आमेलित तकनीशियन ग्रेड–2 की कॉमन वरिष्ठता सूची तैयार करने में विधिक कठिनाई है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि तकनीशियन ग्रेड–2 के पद से अवर अभियन्ता के पद पर लिखित परीक्षा के माध्यम से तकनीशियन ग्रेड–2 के सभी कार्मिकों को परीक्षा में सम्मिलित होने का समान अवसर प्रदान करते हुए विभागीय प्रोन्नति की प्रक्रिया अपनायी जाये।
5. तकनीशियन ग्रेड–2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) विभागीय प्रोन्नति हेतु विद्युत सेवा आयोग निर्धारित रिक्तियों के विरूद्ध 200 अंकों की 3 घण्टे की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगा। चार प्रश्न प्रत्रों की परीक्षा का प्रारूप निम्नवत् होगा :–

(1) सामान्य हिन्दी	– 50 प्रश्न
(2) सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	– 50 प्रश्न
(3) विषयगत ट्रेड	– 50 प्रश्न
(4) कम्प्यूटर ज्ञान	– 50 प्रश्न

(ख) प्रत्येक सही उत्तर पर 01 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जायेगे।

(ग) तकनीशियन (ग्रेड–2) से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु कारपोरेशन के आदेश सं0–144 विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/2011 दिनांक 04.11.2011 मे यथा प्राविधानित अनुभव के लिये निर्धारित 35 अंक दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

(घ) विभागीय परीक्षा मे भी साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

6. विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित होने हेतु पात्रता :–

(क) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद पर स्थायी घोषित

15

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	हो। (ख) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद पर 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका हो। (ग) न्यूनतम डिप्लोमा धारक ऐसे तकनीशियन (ग्रेड–2) जो, पद पर स्थायी घोषित हो चुके हों, के लिये 8.33 कोटे के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष की होगी। (घ) मृतक आश्रित के रूप मे तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद पर नियुक्त तथा 05 वर्ष अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके ऐसे स्थायी कार्मिक जो सिविल (जानपद)/ इलेक्ट्रिकल (वैद्युत)/मैकेनिकल (यांत्रिक) अथवा किसी अन्य विधा मे न्यूनतम डिप्लोमा धारी होंगे वे भी विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित होने तथा सफल घोषित किये जाने के उपरान्त प्रोन्नति के पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि :– (1) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण–पत्र एवं फ्रेन्चाइजी संस्थानो द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नही होंगे। (2) गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री भी मान्य नही होंगे। (3) प्रोन्नति के उपरान्त, सिविल (जानपद) विधा के डिप्लोमा/डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (जानपद) का कैडर आवंटित किया जायेगा जबकि अन्य डिसिप्लिन के डिप्लोमा/डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) कैडर आवंटित किया जायेगा।
118(44) माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिनांक 22–08–2015 को 5 नींबू पार्क, लखनऊ पर पारेषण एवं डिस्कॉम्स की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास हेतु लगाये जाने वाले ग्रेनाइट पट्टिकाओं के निर्माण एवं उक्त कार्यक्रम हेतु Invitation Card कार्यक्रम में जलपान, साज सज्जा, टेन्ट की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में।	**118(44)** निदेशक मण्डल ने माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 22–08–2015 को 5 नींबू पार्क, लखनऊ पर किये गये उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 एवं डिस्कॉम्स की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में ग्रेनाइट पट्टिकाओं के निर्माण तथा वाटर प्रूफ टेन्ट एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य सभी साज सज्जाओं के कराये गये कार्य पर हुए कुल व्यय रू0 1,69,02,095.00 (रू0 एक करोड़ उनहत्तर लाख दो हजार पिचानबे मात्र) (कर अतिरिक्त) का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
118(45) उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम–2010 के अन्तर्गत कार्मिकों के उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में आमेलन के सम्बन्ध में।	**118(45)** निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के मध्य कार्मिकों के आमेलन के प्रकरण में उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम–2010 की धारा 4.2. के प्रविधानों के तहत उ0प्र0 शासन द्वारा गठित आमेलन समिति की दिनांक 07.09.2015 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं पर सहमति देते हुए निम्न निर्णय लिये:– 1. पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों में सामंजस्य रखते हुए तथा प्रदेश के विकास हित में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/वितरण

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	निगमों में कार्यरत कॉमन कैडर के कार्मिकों यथा (अभियन्ता संवर्ग/लेखा संवर्ग के अधिकारी/ कार्मिक संवर्ग/जनसम्पर्क सवंर्ग/विधि संवर्ग/प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग/अवर अभियन्ता संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग के सभी कार्मिको) को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में आमेलित किया जायेगा।
	2. उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में तैनात कॉमन कैडर के कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्यरत कार्मिक यथा परिचालकीय संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, लेखा संवर्ग (अधिकारियों को छोड़कर), कला संवर्ग के कार्मिक वहीं आमेलित मानें जायेगे।
	3. अवर अभियन्ता संवर्ग को पूर्व की भॉति कॉमन कैडर में बनाये रखा जाये जिससे की भविष्य में विसंगतियों एवं विधिक जटिलताओं से बचा जा सके।
	4. क्रीड़ा संवर्ग को कॉमन कैडर मे नहीं रखा जाये।
	5. अभियन्ता संवर्ग का कामन कैडर पूर्व की भांति यथावत बनाये रखा जाये। अभियन्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशित किया गयाः–
	(i) प्रथम वरीयता पर नव नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की सर्वप्रथम नियुक्ति/तैनाती पारेषण स्कन्ध के रिक्त पदों पर की जायेगी। पारेषण स्कन्ध के रिक्त पदों को भरने के पश्चात् ही अवशेष नये सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति /तैनाती वितरण स्कन्ध में की जायेगी। सहायक अभियन्ताओं को यथासम्भव 3 वर्ष पारेषण स्कन्ध में एवं 3 वर्ष वितरण स्कन्ध में रहना आवश्यक होगा जिससे उन्हें दोनों स्कन्धों (पारेषण/वितरण) का वृहद कार्य अनुभव प्राप्त हो सकेगा।
	(ii) सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता पदों पर पदोन्नति होने पर प्रथम वरीयता पर सर्वप्रथम इनकी तैनाती पारेषण स्कन्ध के रिक्त पदों पर की जायेगी इसके पश्चात् ही अवशेष पदोन्नति पाये अधिकारियों की तैनाती वितरण स्कन्ध में की जायेगी।
	(iii) पारेषण एवं वितरण स्कन्ध के अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। मात्र पदोन्नति होने की दशा में ही इनका स्थानान्तरण पारेषण/वितरण स्कन्ध में किया जायेगा।
	6. निदेशक मण्डल के द्वारा निदेशित किया गया कि अन्तरण स्कीम–2010 के प्रस्तर 4(2) के क्रम में उपरोक्त संस्तुतियॉ उ0प्र0 शासन को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

16

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

बैठक प्रारम्भ : सायं 5:00 बजे
बैठक समाप्ति : सायं 6:15 बजे

CHAIRMAN'S INITIAL

दिनॉकः 10-09-2015
लखनऊ।

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष